



Honest, Decisive but not a Hermit

Pahadia's legendary inefficiency forced the centre to depute Wali. All formalities were over, but the CMs orders, appointing him as Chief Secretary, had still not been signed by midnight.

The truth isn't just out there - it's in you!

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दिखी पंचायत चुनावों की झलक

आम मतदाता ना महायुति के लोक लुभावन वार्दों से प्रभावित नज़र आया, ना ही महाविकास अघाड़ी के मराठी अस्मिता के भावनात्मक मुद्दे से सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही हावी रहे

— लक्ष्मण वैकट कुची —
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 20 नवम्बर महाराष्ट्र में मतदान सम्पन्न हो गया है। राज्य के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का भाग्य ई.वी.एम. में सोलबन्द हो गया है। आइये, एक नजर इस तथ्य पर डालें कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान यह चुनावी लड़ाई कैसे लड़ी गई।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी और एम.एस.पी. बड़ा मुद्दा है, इन क्षेत्रों में महायुति सरकार की लोकलुभावन योजनाओं से भी जनता प्रभावित नहीं हुई।
- स्थानीय जनता ने महाविकास अघाड़ी के मराठी अस्मिता मुद्दे को भी स्वीकार नहीं किया है। महाविकास अघाड़ी ने भाजपा पर महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया है।
- भाजपा वार्दों को पूरा करने की गारंटी पर वोट हासिल करने की उम्मीद कर रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन ने भी क्रोनी कैपिटलिज्म, महंगाई, बेरोजगारी व मराठी अस्मिता के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानी तथा कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहान जैसे स्टेर प्रचारकों के समूह के नेतृत्व में चला। मई में हुए लोक सभा चुनावों में भाजपा और महायुति की स्थिति अपेक्षाओं से उलट रहने के कारण, इस त्रिदलीय गठबन्धन ने विपक्ष के भावनात्मक मुद्दों को काटने के लिये अपने मुद्दों में बदलाव किया। लोकसभा चुनाव प्रचार में, विपक्ष ने कहा था कि भाजपा ने किस प्रकार महाराष्ट्र के दो

क्षेत्रीय दलों को तोड़ दिया (जिसने मराठी भावना एवं गौरव को सीधा प्रभावित किया) तथा इसके साथ ही, विपक्ष ने व्यावहारिक, प्रगतिशील, गरीब-समर्थक एवं महिला-समर्थक तथा इनके कल्याण पर जोर दिया। विधानसभा प्रचार में, सत्तारूढ़ गठबन्धन ने कहा कि "माझी लडकी योजना" पर "लाडली बहना योजना" की तर्ज पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि मध्यप्रदेश विधान सभा चुनावों में "लाडली बहना

योजना" बहुत ज्यादा सफल सिद्ध हुई थी। इसके अलावा, युवाओं तथा बेरोजगारों की लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की गईं, जबकि प्रधानमन्त्री ने पहले, इन्हें "रेवडियों" मानते हुये, खारिज कर दिया था। लेकिन, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज माना जाता है, और यह चुनावी लड़ाई किसी भी महायुद्ध से कम नहीं थी। इस महायुद्ध की अन्तिम परिणति आज मतदान का रूप ले चुकी है।

मणिपुर की "इनर लाइन परमिट" व्यवस्था को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती

— जाल खंबाता —
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिज़ोरम के बाद, मणिपुर ऐसा चौथा राज्य है, जहाँ आई.एल.पी. व्यवस्था लागू है। आई.एल.पी शासन-व्यवस्था वाले राज्यों में जाने वाले बाहरी लोगों, जिनमें देश के अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं, को अनुमति लेनी की आवश्यकता होती है।

- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा।
- उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है।

क्या राष्ट्रपति मुर्मू पूर्व राष्ट्रपति कोविंद द्वारा स्थापित परिपाटी पलटेंगी?

राष्ट्रपति कोविंद के समक्ष 6 माफी याचिका प्रस्तुत की गई थीं, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए, उन्होंने छः की छः याचिका खारिज कर दी थीं

— श्रीनन्द झा —
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस प्रथा को तोड़ देंगी, जो उनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दया-याचना याचिकाओं को अस्वीकार करके स्थापित की थी। यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम के प्रकाश में प्रासंगिक हो गया है, जिसमें अदालत ने बलवन्त सिंह राजोना की अपील पर दो सप्ताह में निर्णय लिये उनसे कहा है। ज्ञातव्य है कि बलवन्त सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमन्त्री बेअन सिंह की हत्या का दोषी है। 2019 में, गुरुनानक देव की 550 वीं जयन्ती के अवसर पर, सरकार ने राजोना को मृत्यु दंड को कम करने का निश्चय किया था। जेल में 28 वर्ष बिता देने के बाद, राजोना अब रिहाई का अनुरोध कर रहा है।

- राष्ट्रपति मुर्मू के समक्ष पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवन्त सिंह राजोना को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की याचिका प्रस्तुत की गई है।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस याचिका पर दो सप्ताह में निर्णय लेने के लिए समय दिया है।
- 1950 से अभी तक राष्ट्रपति के समक्ष 440 माफी याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं, मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए, राष्ट्रपति ने इन याचिकाओं में से अधिकतर (308) याचिकाओं में यह परिवर्तन करने की अपील स्वीकार की है।

गुड़गाँव में कर्मचारियों पर "वर्क फ्रॉम होम" कानून लागू होगा

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी निजी संस्थानों और कॉर्पोरेट आफिसों को सलाह दी है कि वे 20 नवम्बर से आगले आदेश तक अपने आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दें। ऐसा करने से इससे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता कायम

- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा किसी सरकारी या कारपोरेट संस्था के 50 प्रतिशत कर्मचारी इस निर्देश की पालना करें।
- मंत्री के अनुसार, दिल्ली में सुबह सात बजे ए.व्यू.आई. 462 थी, तथा सबसे प्रदूषित क्षेत्र थे, मुण्डका (464), वजीरपुर (462) व अतिपुर (462) तथा, इन्दिरा गाँधी एयर पोर्ट पर विजिबिलिटी केवल 800 मीटर थी।

चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश पर रोक

जयपुर, 20 नवंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मेडिकल काउन्सिल के गत 6 नवंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत आर.एम.सी. ने सरकारी सेवा में कार्यरत याचिकाकर्ता चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव और आर.एम.सी. के

करने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन ने कहा कि दिल्ली एम.सी.आर. में वायु प्रदूषण का असर कर्मचारियों पर भी देखा जा रहा है। गुरुग्राम के सभी निजी एवं कारपोरेट संस्थानों ने वर्क फ्रॉम होम का निर्देश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की एडवाइजरी कहती है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (एन.सी.आर.) के निर्देशों के अनुरूप गुरुग्राम के सभी निजी एवं कारपोरेट संस्थान 50 प्रतिशत वर्क फॉर होम पॉलिसी पर काम रहे थे। वायु की गुणवत्ता को सुधारने की

दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इन्डैक्स बुधवार को भी गंभीर श्रेणी में रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की कि राज्य सरकार के 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली में मुंडका सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा। मंत्री के अनुसार, दिल्ली में सुबह सात बजे एम.व्यू.आई. 462 थी, तथा सबसे प्रदूषित क्षेत्र थे, मुण्डका (464), वजीरपुर (462) व अतिपुर (462) तथा, इन्दिरा गाँधी एयर पोर्ट पर विजिबिलिटी केवल 800 मीटर थी।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट : चिकित्सक को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली

जयपुर, 20 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी एन.ओ.सी. से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से जुड़े मामले में फोर्टिस अस्पताल के चिकित्सक ज्योति बंसल को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए पेश विशेष अनुमति

- सर्वोच्च न्यायालय ने फोर्टिस अस्पताल के चिकित्सक, डा. ज्योति बंसल की अग्रिम जमानत के लिए पेश विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस टी.सी. रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश दिए अदालत ने कहा कि ये अपराध चिकित्सीय नैतिकता, टोहो अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून की गंभीर अवहेलना है। एम.एल.पी. में कहा गया कि एम.ओ.जी. को मामले में याचिकाकर्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली के पुराने थर्मल पावर प्लांट्स पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती सरकार?

भारतीय किसान संघ ने एक रिसर्च को आधार बना कर दावा किया कि, ये पावर प्लांट्स, "स्टबल बर्निंग" से सोलह गुना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं दिल्ली के वातावरण में

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। भारतीय किसान संघ ने बुधवार को सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एण्ड क्लीन एयर (सी.आर.ई.ए.) की दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट्स से पराली जलाने की तुलना में 16 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है उन्होंने हैरानी जताई कि इन प्लांट्स पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय प्रमुख राधेन्द्र सिंह पटेल ने कहा कि (सी.आर.ई.ए.) का अध्ययन बताता है कि नेशनल कैपिटल रीजन में जो कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट्स हैं उन्होंने जून 2022 से मई 2023 के बीच 281 किलो टन सल्फर डाई-आक्साइड वातावरण में छोड़ी थी, जो कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा थी, फिर भी

भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय प्रमुख राधेन्द्र सिंह पटेल ने कहा कि (सी.आर.ई.ए.) का अध्ययन बताता है कि नेशनल कैपिटल रीजन में जो कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट्स हैं उन्होंने जून 2022 से मई 2023 के बीच 281 किलो टन सल्फर डाई-आक्साइड वातावरण में छोड़ी थी, जो कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा थी, फिर भी

- सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एण्ड क्लियर एनर्जी (सी.आर.ई.ए.) के अध्ययन के अनुसार राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) में लगे कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स एक लाख 281 किलो टन सल्फर डाई ऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, सल्फर डाई ऑक्साइड का प्रदूषण फैलाने की दृष्टि से।
- सरकार को इन थर्मल पावर प्लांट्स के रख-रखाव व काम काज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये, बनिस्पत किसानों द्वारा, फसल काटने के बाद बचे "स्टबल" जलाने को प्रदूषण का कारण बताने के बजाय।
- किसान संघ ने यह भी दावा किया कि, कृषि विश्वविद्यालय भी फसल कटने के बाद बचे "दूठ" (स्टबल) को जलाने का समर्थन करता है, क्योंकि, "स्टबल" जलाने से फसल में लगे कीड़े व अन्य हानिकारक जीवाणु/जन्तु भी जल जाते हैं, जिससे आने वाली फसल ज्यादा स्वस्थ व किटाणु रहित रहती है।

सरकार पराली जलाने के लिए किसानों को परेशान करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को थर्मल पावर प्लांट्स पर भी कड़ा नियंत्रण करना चाहिए उन्होंने कहा

कि कृषि विश्व विद्यालय पराली जलाने की बात कहते हैं क्योंकि इससे वे कीट मर जाते हैं जो भविष्य में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सरकार की

जिम्मेदारी है कि कृषि विश्वविद्यालयों के रिसर्च संस्थानों को किसानों को प्रशिक्षित करने में मदद करें और उन्हें पराली नष्ट करने के तरीके बताए

एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र व झारखंड में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की

महाराष्ट्र में भाजपा के गठबंधन को 122 से 182 सीटें मिलने और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की भविष्यवाणी

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। कई एग्जिट पोल सर्वे यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शिवसेना (शिन्डे) - भाजपा - एन.सी.पी. (अजित पवार) का "महायुति" गठबंधन बहुमत हासिल कर सकता है और गठबंधन को 122 से 186 तक सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में भी एग्जिट पोल भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस ने एग्जिट पोल निष्कर्षों को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि वह 23 नवंबर को होने वाली मतगणना का इंतज़ार करेगी। कई चुनाव विश्लेषकों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाले एन.सी.पी. घटक तथा भारतीय जनता

एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन महायुति को 137 से 182 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है वहीं कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी को 97 से 146 के बीच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल ने झारखंड में भी भाजपा गठबंधन के जीतने की भविष्यवाणी की है। राज्य की कुल 68 सीटों में से भाजपा खेमे को 40 से 53 सीटें मिल सकती हैं वहीं कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों को 25 से 40 के बीच सीटें मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल नतीजों को सिरों से खारिज कर दिया और कहा, वास्तविक स्थिति 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद स्पष्ट होगी।

पाटी वाले महायुति गठबंधन, के लिए "महाजीत" की भविष्यवाणी की है। इन चुनावों के लिए आज (बुधवार) मतदान हुआ, जबकि, इसकी मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम भी इसी दिन आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं तथा राज्य में सरकार का गठन करने के लिए

किसी पार्टी या गठबंधन को 145 सीटों की आवश्यकता होगी। भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं, शिवसेना (शिंदे) 81 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एन.सी.पी. ने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। इनमें से एक सीट पर महायुति के दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। विपक्षी गठबंधन, महा विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) में कांग्रेस ने 101 प्रत्याशी, शिवसेना (यू.सी.टी.) ने 95 और एन.सी.पी. (एस.पी.) ने 86 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल महायुति को 182 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महा विकास अघाड़ी गठबंधन को 97 सीटें तथा अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने की बात कर रहा है। कुछ अन्य एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणियाँ इस प्रकार हैं :

मात्रासि :
महायुति (भाजपा +): 150-170
एम.वी.ए. (कांग्रेस +): 110-130
अन्य: 8-10

पी-मार्क
महायुति (भाजपा +): 137-157
एम.वी.ए. (कांग्रेस +): 126-146
अन्य: 2-8

न्यूज 24- चाणक्य
महायुति (भाजपा +): 152-160
एम.वी.ए. (कांग्रेस +): 130-138
अन्य: 6-8

झारखंड में, चुनाव विश्लेषकों के अनुसार, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन सत्ता से बाहर हो सकते हैं और भाजपा गठबंधन के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। हाईकोर्ट बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता राजीव शर्मा, राजेश कर्नल और राजेंद्र सिंह राठी डू को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बार एसोसिएशन चुनाव में 5804 शपथ पत्र पेश

जयपुर, 20 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट सहित, प्रदेश की अन्य अदालतों को बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। हाईकोर्ट बार की चुनाव संचालन समिति ने चुनाव

- चुनाव समिति ने 'वन बार वन वोट' को लेकर 12 नवम्बर से 20 नवम्बर तक अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अपना शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा था।